>

Title: Prof. Vijay Kumar Malhotra called the attention of the Minister of Agriculture and Consumer Affairs, Food and Public Distribution (PDS) to the situation arising due to supply of inferior quality wheat to BPL families under the Public Distribution System (PDS) and steps taken by the Government in this regard.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA (SOUTH DELHI): Sir, I call the attention of the Minister of Agriculture and Consumer Affairs, Food and Public Distribution to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> "The situation arising due to supply of inferior quality wheat to BPL families under the Public Distribution System and steps taken by the Government in this regard."

**सभापति महोदय :** मंत्री जी आप इसे ले कर दीजिए इससे समय बचेगा।

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR):

Sir, I beg to lay the Statement on the Table of the House. Under the TPDS, allocations of wheat are made to State and UT Governments. Based on these allocations, FCI issues wheat to the concerned State and Union Territory Governments. The wheat issued by FCI meets all the required quality specifications under the Prevention of Food Adulteration Act, 1955. As per standing instructions, before the wheat is issued from FCI godowns, joint inspection and sampling of the stocks of wheat in FCI godowns is done by the representatives of the FCI and concerned State/Union Territory Governments.

Before the imported wheat is allowed to be discharged from the ships at Indian ports, its quality is tested by the authorities competent under the Prevention

---

* Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 7302/2007

of Food Adulteration Act and by the Plant Quarantine authorities. Only if the imported wheat is found conforming to all the specifications laid down, it is allowed to be discharged from the ships.

While making allocation of wheat under TPDS, no distinction is made between the imported and indigenous wheat. However, certain communications have been received from State Governments of Kerala, Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan informing that the imported red wheat allocated under TPDS is not being preferred by TPDS beneficiaries. Complaints about quality of imported red wheat have been received from State Governments of Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan.

On receipt of these complaints, officers of Department of Food & Public Distribution and Food Corporation of India jointly collected samples of imported red wheat from FCl godowns in Madhya Pradesh, Rajasthan and Maharashtra regions during second fortnight of October 2007 and got them analysed for quality. This analysis has shown that all samples drawn from FCl godowns conform to quality standards prescribed under the Prevention of Food Adulteration Act, 1955. Comparisons of results of analysis with quality parameters of indigenous wheat have also revealed that the quality of imported red wheat is comparable to that of indigenous wheat.

However, wherever complaints about quality of wheat have been received, the State Governments have been directed to get the stocks tested and if they are found to be meeting the standard quality norms, only then their distribution is to be continued.

Further, instructions have been issued to all State Governments that wheat and rice not conforming to PFA specifications should not be issued to consumers under the TPDS.

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :** माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया है कि इनको कुछ कम्पलेंट्स मिली हैं और यहां से इनके साथ पत्र व्यवहार हुआ है। इस बात का उल्लेख किया गया है कि केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य सरकार ने informed that the imported red wheat allocated under TPDS is not being preferred by TPDS beneficiaries. और फिर यह कहा है कि -

> "Complaints about quality of imported red wheat have been received from State Governments of Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan."

परंतु मंत्री महोदय ने कहा है कि इनकी गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, रेड व्हीट इम्पोर्टिड व्हीट है और इम्पोर्टिड व्हीट होने के कारण यहां बहुत से लोग इसे लेना नहीं चाहते हैं बल्कि हम यहां जो व्हीट लेते हैं उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है। मंत्री महोदय का यह कथन मेरे विचार में उचित नहीं है क्योंकि जो रेड व्हीट आ रहा है, वह सड़ा गला है, उसे फफूंदी लगी हुई है। वह खाने के लायक नहीं है और सब राज्य सरकारें जब उसे बी.पी.एल. को देना चाहती हैं तो बी.पी.एल. के गरीब आदमी भी उसे लेने से इनकार कर देते हैं। वह जानवरों के खाने लायक भी नहीं होता है। उसके बाद आटा मिलों में उसका आटा बनाकर बेचा जाता है। बी.पी.एल. की यह शिकायत एक जगह से नहीं है, आठ-नौ राज्यों ने इन्हें लिखा है और बाकी राज्यों को भी इस संबंध में काफी कठिनाई हो रही है।

सभापति महोदय, यहां इसके साथ तीन-चार प्रश्न पैदा होते हैं। पहला सवाल आयातित रैड व्हीट का है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो लाल रंग का गेहूं, जिसे भारत के अंदर कोई लेना नहीं चाहता, उसे क्यों इम्पोर्ट करते हैं? जब दुनिया में व्हाइट व्हीट अवेलेबल है तो उसे क्यों नहीं लिया जाता है। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि व्हीट के इम्पोर्ट में जो एक भयंकर घोटाला हुआ है, हमारी सदन को भी उसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए। मई, 2007 में एक टेंडर किया गया कि विदेशों से गेहूं मंगाया जाए और यह इसलिए मंगाया जाए कि हमारे यहां गेहूं की कुछ कमी है, हमें स्टाक को भरकर रखना है। वह टेंडर 263 डालर पर मीट्रिक टन के हिसाब से आया। लेकिन उसे यह कहकर रद्द किया गया कि इस टेंडर की कीमत बहुत ज्यादा है। हम अपने किसानों को ज्यादा पैसा नहीं दे रहे हैं, इसलिए किसान इसके बारे में आंदोलन करेंगे, इसलिए इसे रद्द किया जाए और दोबारा टेंडर किया जाए। उसके बाद जून में जो टेंडर किया जाता है तो वह 325 डालर पर मीट्रिक टन के हिसाब से किया जाता है और उसके बाद जब गेहूं लिया गया तो यह 390 डालर पर मीट्रिक टन के हिसाब से लिया गया। 263 डालर पर जब गेहूं मिल रहा था तो उसे कह दिया गया कि यह ठीक नहीं है, इसकी कीमत ज्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट को पता था कि हिन्दुस्तान इसे बाद में जरूर खरीदेगा और उसके लिए उन्होंने कीमतें चढ़ा दीं और 390 डालर पर मीट्रिक टन के हिसाब से उसे खरीदा गया। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इसकी सी.बी.आई. इंक्वायरी कराई जाए कि यह घोटाला क्यों हुआ, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपये हिन्दुस्तान के हाथ से निकल गये और जो अनाज आया वह भी सड़ा-गला है और किसी तरह से भी गुणवत्ता के मुताबिक नहीं है।

मेरी पहली मांग यह है कि इस पूरे मामले की सी.बी.आई. इंक्वायरी कराई जाए कि घटिया व्हीट यहां क्यों आया? अगर हम अपने यहां के किसानों को शुरू में ही एक हजार रुपये के हिसाब से कीमत देते, जो कीमत अब आगे निर्धारित की है, यदि यह कीमत मार्च-अप्रैल के महीने के पहले दिन कर दी जाती तो जितना अनाज हमें बाहर से मंगाना पड़ा है, उससे कहीं कम अनाज हमें यहां से लेने की जरूरत पड़ती और हिन्दुस्तान में हर किसान का बढ़िया गेहूं, जिसकी कीमत हमने एक हजार रुपये रखी है, वह हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 11, 12 रुपये पर आ सकता था। परंतु यहां पर अब 18 रुपये के हिसाब से बाहर से गेहूं आया है और वह भी रैड व्हीट आया है, जो सड़ा-गला है और किसी भी तरह से गुणवत्ता पर पूरा नहीं ठहरता।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने यह तय किया कि हर स्टेट में जो बी.पी.एल. है, उसे हम सस्ते दामों पर अनाज देंगे। परंतु केन्द्र सरकार के मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डाल सकते हैं, हमारे रूरल डवलपमैन्ट के मिनिस्टर भी यहां बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर हमारा प्लानिंग कमीशन कहता है कि हिन्दुस्तान में बी.पी.एल. 26-27 परसैन्ट हैं, ये इससे ज्यादा नहीं हैं। ये आंकड़े सरकार के अपने दिये हुए हैं, जो मैं आपके सामने पढ़ सकता हूं। इसमे कहा गया है कि अब बी.पी.एल. केवल 27 परसैन्ट हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि वर्ष 2000 में ये 36 परसैन्ट थे, जो अब कम होकर 27 परसैन्ट हो गये हैं। उस समय छः करोड़ 52 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे, जो अब पांच करोड़ सत्तर लाख रह गये हैं। परंतु राज्यों ने बी.पी.एल. के जो राशन काड्र्स इश्यु किये हैं, वे 11 करोड़ के करीब हैं। अगर 11 करोड़ राशन काड्र्स बी.पी.एल. में हैं तो यह अनुमान कैसे लगा कि हिन्दुस्तान में बी.पी.एल. के अंदर इस समय कुल 26 परसैन्ट लोग हैं। अगर 26 परसैन्ट बी.पी.एल. के लोग हैं और आप 26 परसैन्ट के हिसाब से अनाज देंगे तथा बी.पी.एल. के करीब 11 करोड़ राशन काड्र्स बनेंगे, जबकि कुछ राज्यों में 70 परसैन्ट, 75 परसैन्ट और 80 परसैन्ट तक बी.पी.एल. के राशन काड्र्स बने हुए हैं। यदि बी.पी.एल. के राशन काड्र्स 70 परसैन्ट हैं और उनके पास अनाज 26 परसैन्ट के हिसाब से पहुंचता है तो बाकी अनाज की पूर्ति कहां से होगी[b9]।

महोदय, ऑडिटर जनरल ने जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी है, उसमें पांच बातें कही हैं। एक तो यह कहा है कि -

"Huge difference in the number of Below Poverty Line (BPL) households estimated by the Planning Commission and those identified by the State Governments, which have resulted in scaling down of ration to the needy families."

नीडी फैमिलीज को राशन उसी हिसाब से मिलेगा, एक तिहाई मिलेगा या नहीं मिलेगा और इसमें इतना हाहाकार मचा कि बीपीएल के राशन कार्ड तो बना दिये गये लेकिन उनको अनाज नहीं मिलता है। इसलिए उन लोगों में हाहाकार मचता है। दूसरे, उन्होंने कहा कि -

> "Leakages and large scale diversion of foodgrains meant for distribution under the Targeted Public Distribution System (TPDS) in several States."

अनेक राज्यों में जो अनाज हम राशन के लिए देते हैं, वह अनाज खुले बाजार में चला जाता है, बंग्लादेश को चला जाता है और दूसरी जगह चला जाता है। मंत्री जी का जो वक्तव्य है, उसमें भी कहा गया है कि:

> "Sixty-nine per cent of PDS diverted."

69 प्रतिशत गेहूं जो जाता है, वह डाइवर्ट ही हो जाता है, खुले बाजार में चला जाता है या बाहर भेज दिया जाता है। अगर 69 प्रतिशत डाइवर्ट हो गया और हमने एक तिहाई दिया यानी 33 प्रतिशत दिया तो फिर उन लोगों को अनाज कहां से मिलेगा? उनको सड़ा-गला अनाज नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा? फिर यह कहा गया है कि:

> "Supply of poor/substandard quality of foodgrains under the TPDS
>
> in several States."

**सभापति महोदय :** आप सवाल करिए।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :** सभापति जी, मैं सवाल ही करने लगा था। जो सप्लाई ऑफ सबस्टैंडर्ड क्वॉलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू पूअर्स हो रही है, यह ठीक नहीं है, ऐसा ऑडिटर जनरल का कहना है। लेकिन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कोई सबस्टैंडर्ड क्वॉलिटी नहीं है। उनकी गुणवत्ता पूरी वैसी ही है, उनके अंदर कोई कमी नहीं है। ऑडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट दी थी और उसमें कहा था कि सब स्टैंडर्ड क्वॉलिटी ऑफ फूडग्रेन्स की सप्लाई हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि:

> "Alleged corruption prevailing in the procurement, storage and distribution of foodgrains under the Public Distribution System."

प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी करप्शन है। इसके अलावा मैंने तीन-चार चीजें और देखीं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि एक तो जो गेहूं बाहर से आया है, उसकी इंक्वायरी सीबीआई से करायी जानी चाहिए। कई सैंकड़ों करोड़ रुपया हमारे देश का उसमें निकल गया। उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनको सजा दी जानी चाहिए।

दूसरे, जितनी राज्यों की आवश्यकता है या तो आप उसका कोई मापदंड तय करिए कि यहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन कौन लोग होंगे। एक डैफिनिशन रूरल मिनिस्ट्री की है, एक डैफिनिशन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की है और तीसरी डैफिनिशन स्टेट की है। तीनों मिलकर अगर 70 प्रतिशत या 60 प्रतिशत बिलो पॉवर्टी लाइन के राशन-कार्ड बनें, तो या तो उन सब को दीजिए नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। दोनों बातें तो नहीं हो सकतीं कि 70 प्रतिशत राशन-कार्ड बन जाएं और राशन-कार्ड उनमें से केवल 26 प्रतिशत को ही मिलें। इसलिए आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं और इसे कैसे ठीक करेंगे? यह मैं जानना चाहता हूं।

तीसरे, यह जो सूचना आती है, कैसे इस बात की जांच की जाती है कि इसकी गुणवत्ता बराबर है? गुणवत्ता बराबर होगी तो उसके लिए केवल यह कह देना कि फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक उसके अंदर गुणवत्ता ठीक है। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट तो यह देखेगा कि गेहूं में कुछ और बाहरी चीज तो नहीं मिला दी गई है क्योंकि गेहूं खाने लायक नहीं है। गेहूं में उरली लगी है। यह गेहूं खराब है, यह बात फूड एडल्ट्रेशन एक्ट से कैसे साबित होगी? अगर इस बात को साबित करना है तो अपनी लैबोरेटरी से साबित किया जाए, फूड एड़ल्ट्रेशन एक्ट के अंदर उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो गेहूं यहां से बाहर चला जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को, गरीब आदमी को दिया हुआ अनाज जो बहुत कम कीमत पर देना है, वह गेहूं भी अगर बाहर बाजार में खुले बाजार में चला जाए, उसे भी अगर बेच खाया जाए तो क्या यह गरीब आदमी के साथ मजाक नहीं है?उनके ऊपर क्या यह भीषण अत्याचार व अन्याय नहीं है? इसलिए मंत्री जी इस बात को देखें कि राज्य सरकारों को जो अनाज जा रहा है, वह अनाज ठीक होना चाहिए। सिर्फ उनको रैड व्हीट जो बाहर से गेहूं आया है, केवल वही गेहूं बीपीएल को न भेजा जाए। अगर आपने बीपीएल बनाई है तो फिर हिम्मत के साथ बीपीएल वालों को पूरे राशन-कार्ड व अच्छा राशन मिलना चाहिए। उनके साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए सभापति जी, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय का जो वक्तव्य है, उसमें वह इन बातों का ध्यान [r10]रखें।

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) :** माननीय सभापति जी, मैं मल्होत्रा जी का आभारी हूं कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ध्यानाकर्षण के द्वारा सदन में लाये हैं। पिछले कुछ महीनों से देश के अखबारों में कई ऐसी बातें आयी हैं , जिनके स्पष्टीकरण के लिये मुझे देशवासियों के सामने इस सदन के माध्यम से कहने का मौका मिला है। मैंने शुरु में निवेदन किया कि इसके इम्पोर्ट के लिये क्या सिस्टम है। शिकायतें आती हैं, गेहूं की जांच होती है। जो शिकायतें आई, उनकी जांच हुई और उसके बाद क्या स्थिति थी, यह मैंने सदन के सामने रखने का प्रयास भी किया है।

पहली बात यह है कि हमें गेहूं इम्पोर्ट करने की नौबत क्यों आ रही है? यह समस्या कोई एक साल से नहीं पैदा हुई है बल्कि पिछले 5-7-8-10 सालों से इस देश में कृषि उत्पाद के बारे में देखा जाये तो ट्रैंड ऐसा था कि यह प्रौडक्ट्स दिन-ब-दिन नीचे जा रहा था, कम हो रहा था। खासकर, गेहूं, दालों और ऑयलसीड्स - इन तीनों आइटम्स के लिये जिस तरह देशवासियों की मांग है, उसे पूरा करने की ताकत प्रौडक्शन में नहीं थी। जब डिमांड और सप्लाई में काफी गैप होता है - चाहे पीडीस हो या आम लोगों के लिऐ अनाज की फूड सिक्यूरिटी हल करने की बात हो, किसी भी सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। यू.पी.ए. सरकार के पहले जो सरकार थी, उसने खासकर दालों और ऑयलसीड्स का इम्पोर्ट किया था और आज भी समस्या है जिसस कारण इम्पोर्ट हो रही हैं। नई सरकार आने के बाद इस देश में जो किसान देश में अनाज की आवश्यकता के पूरा करने में कामयाब हुआ, यह देश कामयाब हुआ, हमारे लिये गर्व की बात है लेकिन अब उसमें बदलाव आ रहा है। इसके लिये हमें करैक्टिव मैजर्स लेने की आवश्यकता है। इस संबंध में नई नीति, नई प्रायरिटीज़ देने की आवश्यकता है। इस संबंध में भारत सरकार में सहमति हुई है।

सभापति महोदय, पिछले कई सालों से इस देश में एग्रीकल्चर सैक्टर में जो इनवैस्टमेंट होता था, वह दिन-ब-दिन कम हो रहा था और इसमें करैक्टिव मैजर्स लेने का काम पिछले 3-4 सालें से शुरु हुआ है। दूसरे, किसानों को उनकी पैदावार की कीमत हम किस तरह देंगे, यह उसकी उपज पर निर्भर रहता है। जहां तक गेहूं की बात है, मैं इस संबंध में कोई राजनीति नहीं लाना चाहता हूं मगर शायद सोच-समझकर यू.पी.ए. सरकार आने के पांच साल पहले किसानों को गेहूं की जो कीमत

दी गई, वह केवल 50 रुपये वृद्धिमात् होती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि गेहूं का उत्पादन दिन-ब-दिन कम होने लगा। मैं सदन के सामने वे आंकड़े दे सकता हूं कि किस तरह हर साल उसका उत्पादन कम हुआ है?[s11]

VÃ‰Ã‰Ã¤ उत्पादन कम हो रहा है, इसका असर कहीं न कहीं देश की सरकार के स्टाक पर भी होता था। इसमें कोई करैक्टिव मीज़र्स लेने की आवश्यकता थी। यूपीए सरकार ने ऐसा सोचा और पिछले तीन सालों में 370 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा कीमत देने का काम इस सरकार ने गेहूँ के संबंध में किया। पहले पांच सालों में पचास रुपये और तीन सालों में 370 रुपये तक ज्यादा कीमत इस सरकार ने दी और किसानों को इस क्षेत्र में जाने के लिए एक तरह का जो सपोर्ट करने की आवश्यकता है, वह सपोर्ट किया गया। इसका असर यह हुआ कि जो पिछला सीज़न गेहूँ का गया, इस देश में 74.76 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। फिर सवाल यह आ सकता है कि इतना उत्पादन होने के बाद सरकार के पास स्टाक क्यों कम है। सरकार के पास स्टाक कम है यह बात सच है। इसके दो तीन कारण हैं। यह बात सच है और यह बात इस सदन में भी बार बार पहले कही गई कि जब एनडीए की सरकार थी तो देश के सभी भंडार भरे थे और देश के अनाज की स्थिति अच्छी थी। इसमें सच्चाई है। भंडार ज़रूर भरे थे, मगर जब नई हुकूमत आ गई, तब भंडारों की स्थिति देखने के बाद हमारे सामने एक बात आई कि ये भंडार खाली हो गए हैं या खाली हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के लिए दिया होगा तो वह जिम्मेदारी किस सरकार की थी, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मगर इस देश के किसानों को हमने जो कीमत दी, इससे भी कम कीमत पर देश के बाहर एक्सपोर्ट करने का काम पिछली हुकूमत ने किया जिसमें 16000 करोड़ रुपये की सबसिडी ट्रेडर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए दी गई। मैं यह समझ सकता था कि सरकार की कोई आर्गनाइज़ेशन हो, चाहे एम.एम.टी.सी. हो या स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन हो, इन्होंने पूरी जिम्मेदारी एक्सपोर्ट करने की ली और शायद उनको कुछ नुकसान आया तो सरकार ने उनको कुछ मदद दी, तो मैं समझ सकता था। लेकिन इससे पहले जो राहत दी गई, वह ट्रेडर्स को दी गई। उनको एक्सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट किया गया। ...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** आप उत्तर सुन लें, फिर आपको मौका देंगे।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :** इस हाउस की समिति ने यूनैनिमसली कहा था कि इसको समुद्र में फेंक दो, इतने भंडार भरे हुए हैं।...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** मंत्री जी यील्ड नहीं कर रहे हैं। आप सुन लीजिए।

â€¦(व्यवधान)

**श्री शरद पवार :** इसलिए देश के भंडारों की स्थिति में बहुत बदलाव आया। जब हमारे पास स्टाक कम होता है तो उसका असर प्रोक्योरमैंट पर होता है। जब दुनिया को पता लगता है कि हमारे पास स्टाक क्या है तो यह समझकर फिर प्रोक्योरमैंट पर इसका असर होता है। वह असर होने की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर दूसरा सवाल मुझे कोई भी पूछ सकते हैं कि मैंने यहां यह स्टेटमैंट दे दिया कि इस साल सबसे ज्यादा देश में गेहूँ का उत्पादन हुआ। फिर स्टाक की पोज़ीशन आज भी क्यों खराब है और आज भी हम इंपोर्ट क्यों करते हैं। यह महत्वपूर्ण सवाल है। कोई भी यदि पूछता है तो उसका जवाब देने की जिम्मेदारी को मैं नज़रंदाज़ नहीं कर सकता हूँ। पिछले दो-तीन सालों में देश में जो प्रोक्योरमैंट हुआ और देश की जो ज़रूरत थी, इस पर हमें ध्यान देना होगा। इस साल देश की जो आवश्यकता थी, वह 150 लाख टन के आस पास थी। इसमें कुछ पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के लिए होगा, कुछ वैलफेयर स्कीम्स के लिए होगा, बफर स्टाक में कोई समस्या आ गई, कुछ राज्यों में बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, ऐसी इमरजेन्सी के लिए कुछ स्टाक रखना पड़ता है। यह सब मिलाकर 150 लाख टन की ज़रूरत हमारी थी। मगर हम वास्तव में ज्यादा कीमत देने के बाद भी और ज्यादा उत्पादन होने के बाद भी 110 मिलियन टन ही प्रोक्योर कर सके जबकि हमारी जिम्मेदारी 150 मिलियन टन प्रोक्योर करने की थी। 40 लाख टन का गैप इससे आ गया। यह गैप क्यों आ गया और पिछले दो-तीन सालों से यह गैप क्यों आ रहा है, यह सवाल कोई भी पूछ सकता है। [h12]

सभापति महोदय, जो टोटल प्रक्योरमेंट हुआ, उसमें पंजाब का पिछले साल का उत्पादन वर्ष 200-6-07 का 145 लाख टन था। उसमें से मार्केट में 78 लाख टन गेहूं आया और Out of this, 67.57 lakh tonnes, which is more than 75 per cent, has been purchased by the Food Corporation of India from Punjab. दूसरा राज्य हरियाणा है। वहां 100.53 लाख टन टोटल प्रोडक्शन हुआ था। मार्केट अराइवल्स 37.10 लाख टन था। Out of this, from Haryana the Food Corporation of India could procure 33.46 lakh tonnes which is more than 80 per cent.

महोदय, इस देश में गेहूं पैदा करने वाले चन्द राज्य हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। मैंने कई बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर, कैप्टेन अमरेन्द्र सिंह से बात की, उनके साथ मीटिंग की कि प्रक्योरमेंट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इस बारे में डिटेल डिसकशन किया और जो कुछ समस्याएं थीं, उन्हें दूर करने की कोशिश की। आज मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, श्री भूपेन्द्र सिंह हूडा ने भारत सरकार को प्रक्योरमेंट हेतु बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिया। इसीलिए देश में जो टोटल प्रक्योरमेंट हुआ वह 111 लाख टन हुआ। इसमें से 100 लाख टन के आसपास प्रक्योरमेंट सिर्फ दो राज्यों, पंजाब और हरियाणा से हुआ। बाकी गेहूं पैदा करने वाले जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश है। In Uttar Pradesh, the total production is 250 lakh tonnes, market arrival is 13 lakh tonnes and the stuff which has been given to the Food Corporation of India by the local Government and agencies is 5 lakh tonnes.

The next important wheat producing State is Madhya Pradesh. The total production of wheat in Madhya Pradesh is 71.59 lakh tonnes and wheat which has been given to the Food Corporation of India by Madhya Pradesh is 57,000 tonnes. ...(*Interruptions*)

**श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़):** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में गेहूं का प्रक्योरमेंट बहुत लेट शुरू हुआ था। ...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** कृपया आप बैठ जाईए। बिना चेयर की अनुमति के नहीं बोलिए।

SHRI SHARAD PAWAR: Then comes Rajasthan. The total production in Rajasthan is 69.25 lakh tonnes and the wheat which has been given to the Food Corporation of India by Rajasthan is 3,87,000 tonnes. सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रक्योरमेंट एजेंसी को राजस्थान से 3 लाख 87 हजार टन माल मिला। अगर आप इसी प्रकार गुजरात को देखें, तो गुजरात में टोटल प्रोडक्शन 30 लाख टन हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी को वहां से जीरो लाख टन गेहूं मिला, यानी बिलकुल नहीं मिला। इस प्रकार गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन अच्छा हुआ है। पूरे देश को गेहूं सप्लाई करने की जिम्मेदारी पंजाब और हरियाणा लेते हैं और वहां से हमें कितना गेहूं मिला, वह मैंने बताया। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यह बात सच है कि वहां सबसे ज्यादा प्रक्योरमेंट होती है।

महोदय, दूसरा सवाल यह है कि इन पांच राज्यों में भारत सरकार की तरफ से अलाटमेंट कितना हुआ है। इन पांचों राज्यों में टोटल मिलाकर भारत सरकार को इन राज्यों को जो एलोकेशन करना पड़ा, वह आंकड़ा 60-70 लाख टन के आसपास है। यानी जहां पैदा होता है, वहां से भारत सरकार की एजेंसी को माल नहीं मिलता है और जहां भारत सरकार के गोदामों में माल है, उसमें से बड़ा हिस्सा इन राज्यों को देना पड़ता है। इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार को माल मिले या नहीं मिले, लेकिन हम देते हैं, जिससे वहां की आम जनता की समस्या दूर हो। फूड सिक्योरिटी की समस्या को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक बात अब मेरे सामने और आई है और वह यह है कि जब मैं पंजाब और हरियाणा में जाता हूं, तो वहां के किसान मुझसे पूछते हैं कि देश की फूड सिक्योरिटी की समस्या को दूर करने का ठेका क्या हमने ही लिया है? बाकी राज्यों में जहां गेहूं पैदा होता है, वहां से सहयोग नहीं मिलता और पूरा प्रक्योरमेंट यहीं से क्यों किया जाता है? हमें इसी क्रॉप पर क्यों निर्भर रहना चाहिए, हम ज्यादा पैसे देने वाली क्रॉप पर क्यों नहीं जा सकते? इस तरह की बात आज पंजाब में हो रही है, हरियाणा में हो रही है और जब यह बात फैलेगी, तो इसका देश की फूड सिक्योरिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इस सदन के माध्यम से जहां-जहां गेहूं पैदा होता है, जहां-जहां चावल पैदा होता है, उन सभी राज्यों से मेरा अनुरोध है कि बाकी कुछ भी राजनीति करिए, मगर फूड सिक्योरिटी की समस्या को हल करने के लिए, भारत सरकार को सहयोग देने की आवश्यकता है। [r13]

इसलिए जिन राज्यों में गेहूं और चावल पैदा होता है, इस सदन के माध्यम से उनसे मेरा निवेदन है कि आप जिस किसी पर राजनीति कीजिए, लेकिन फूड सिक्योरिटी की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार को आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है, तभी हम इस देश के गरीब लोगों की समस्या को हल कर सकते हैं। उस समय 150 लाख टन की आवश्यकता थी और 110 लाख टन की एवैलेबिलीटी थी। इस 40 लाख टन के गैप को पूरा करने के लिए हमारे सामने इम्पोर्ट करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। किसान होने के नाते से मैं इम्पोर्ट से बिलकुल खुश नहीं हूं। जब मुझे इम्पोर्ट करने का निर्णय लेना पड़ता है तो मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि एक गलत काम हम लोग करते हैं, इस तरह की भावना हम लोगों के मन में पैदा होती है। लेकिन गरीब लोगों की फूड सिक्योरिटी से हम कप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, भले ही हमें वह पसंद हो या न हो। इसलिए गरीब लोगों के अनाज की समस्या को हल करने के लिए हमें यह करना पड़ा।

महोदय, यहां सवाल उठाए गए कि जब हम लोगों ने इम्पोर्ट किया तो यहां के किसानों को वह कीमत क्यों नहीं दी? दूसरा, हमने जो पहला टेंडर मंगाया था, उसे कैंसिल क्यों किया गया? और तीसरा, बाकी टेंडर को हमने ज्यादा भाव पर क्यों एक्सैप्ट किया?

महोदय, एक बात मुझे सदन के सामने कहनी है कि जब मिनीमम स्पोर्ट प्राइज़ पूरे देश के लिए कॉमन होता है और वह पूरे साल के लिए होता है। जब यूपीए सरकार ने 850 रूपये प्रति क्विंटल गेहूं के लिए तय किया तब अन्तरराष्ट्रीय मार्किट में मिनीमम स्पोर्ट प्राइज़ 740 रूपये प्रति क्वींटल था, यानी 110 रूपये प्रति क्वींटल भारत के किसानों को दुनिया के किसानों से ज्यादा यूपीए सरकार ने दिया। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। मुझे याद है, पंजाब में जब अकाली दल की सरकार आ गई तो उन्होंने और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कांटैक्ट करके बताया कि बहुत अच्छी कीमत डॉ. मनमोहन सिंह सरकार ने तय की है और हम अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा गेहूं लगाएंगे तथा ज्यादा से ज्यादा गेहूं सेंटर पूल में देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जो बात कही थी, उस पर उन्होंने अमल भी किया। इसलिए ज्यादा कीमत देने की जो मांग थी, वह हमने पूरी की। यह बात सच है कि अन्तरराष्ट्रीय कीमत से ज्यादा यहां कीमत दी गई है।

महोदय, यहां सवाल उठाया गया कि जब हमने इम्पोर्ट किया, तब इम्पोर्ट करने का कौन सा प्रोसिजर अपनाया गया? हमारे यहां ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी है, जो सिचुएशन देखती है और तय करती है कि क्या करना है। यह सब उस कमेटी ने ही तय किया कि इम्पोर्ट करने की आवश्यकता है। इसके बाद यह बात आई कि इम्पोर्ट करने की जिम्मेदारी किस पर डालनी चाहिए? मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्तरराष्ट्रीय मार्किट में खरीदने और बेचने का एक्सपीरियंस कृषि मंत्रालय को नहीं है। हमारे देश में इसके लिए स्टेट ट्रैडिंग कार्पोरेशन और एमएमटीसी जैसे संस्थान पिछले कई सालों से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। इसी को सोच और समझकर स्टेट ट्रैडिंग कार्पोरेशन को इम्पोर्ट करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए मंत्रियों की एक कमेटी गठित की गई और जो टेंडर इसके लिए मंगाए गए थे, वह इंटरनेट पर मंगाए गए थे। सभी स्टैक होल्डर्स को बुलाकर, उनके सामने टेंडर खोले गए और टेंडर खोलने के बाद सबसे अच्छी, सबसे कम कीमत के टेंडर को स्वीकार करने का निर्णय एसटीसी ने लिया और उस पर हम लोगों ने अमल किया। सबसे कम बोली 1080 रूपये के आस-पास थी यानी 266 डॉलर थी। उस समय देश में मिनीमम स्पोर्ट प्राइज़ 850 रूपये पर गेहूं खरीदा जा रहा था। एसटीसी ने वन मिलियन टन की डिमान्ड के लिए टेंडर मंगाए थे, लेकिन इस एक लाख मिलियन सप्लाई करने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। केवल 3 लाख 60 हजार टन के आस-पास सप्लाई करने की जिम्मेदारी ली गई । यानी 265 डालर पर हमें जो व्हीट मिलने वाला था, वह 3.60 लाख टन के आसपास ही मिलने वाला था। तब एस.टी.सी. ने इसकी स्टडी करके हमें लिखा कि दुनिया का ट्रेंड यह दिखाई देता है कि कीमतें नीचे जा रही हैं और उन्होंने इस बारे में एक उदाहरण भी दिया कि जो 3.60 लाख टन का जो प्रपोजल आया था, जो ऑफर आई थी, यह ऑफर देने वाली कम्पनी ने कहा था कि अगस्त महीने तक अगर आप डिलीवरी लेंगे तो इसकी कीमत ज्यादा होगी और अगस्त, 2007 के बाद लेंगे तो इसकी कीमत कम होगी। एस.टी.सी. ने हमें लिखा कि यह ट्रेंड बताता है कि अगस्त के बाद दुनिया का प्रोडक्शन मार्केट में आने के बाद नीचे जाएंगी, कम हो जाएंगी। यह बात उन्होंने हमारे सामने रखी।

दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि इण्टरनेशनल ग्रेन काउंसिल दुनिया में सभी देशों का एक संगठन है और वह हर हफ्ते दुनिया के सभी देशों में हर आइटम की क्या कीमत है, इस बारे में मालूमात करती है। उस इण्टरनेशनल ग्रेन काउंसिल की जो उस महीने की रिपोर्ट थी, इसमें दुनिया में जो गेहूं के प्राइसेज़ ऊपर जा रहे हैं, वे नीचे जाने की पोसिबिलिटी है। आस्ट्रेलिया में और कई देशों में अच्छा प्रोडक्शन होने की स्थिति है, इसलिए कीमतें नीचे जाएंगी, कम हो जाएंगी, इस बात की उन्होंने भी सपोर्ट की थी।

**सभापति महोदय :** लेकिन आस्ट्रेलिया में सूखा पड़ गया।

**श्री शरद पवार :** बाद में पड़ा, मैं बताता हूं। ये जो सब रिपोर्टें आ गई, ये सब रिपोर्ट्स आने के बाद यह बताया गया कि प्राइसेज़ कम होने वाली हैं तो हमारे सामने

एक लिखित स्वरूप में रिपोर्ट थीं कि प्राइसेज़ कम होने वाली हैं, आज की प्राइस जो ऑफर हुई, वह ज्यादा है और हम जो किसानों को कीमत देते हैं, वह इससे भी कम है। यहां के मार्केट का, किसानों का सर्वे करने के बाद और हर राज्य को कॉंटैक्ट करने के बाद राज्यों से हमें यह इन्फोर्मेशन मिली कि 8-9 लाख टन गेहूं हम अपने देश में किसानों से भी खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 850 रुपये है। हमारे पास ऑफर 3.60 लाख टन की थी और उसकी कीमत एक हजार रुपये से ऊपर थी और दूसरी तरफ हमारे पास स्टेट्स की इन्फोर्मेशन यह थी कि यहां हम 8-9 लाख टन 850 रुपये में ऑफर कर सकते थे तो किसको हमें स्वीकार करना चाहिए। अपने देश में अपने किसान 850 रुपये पर देने के लिए तैयार हैं, यह इन्फोर्मेशन मिलने के बाद हमने तय किया कि विदेश से हम गेहूं नहीं खरीदेंगे और अपने देश में खरीदेंगे।

मुझे यह कहने में खुशी है कि यह डिसीजन लेने के बाद भारत के किसानों ने 9 लाख टन गेहूं 850 रुपये की दर से भारत सरकार की किट्टी में फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया। जब हम 3.60 लाख टन गेहूं बाहर से एक हजार रुपये से ज्यादा कीमत देकर लेते तो शायद इसका असर डोमैस्टिक प्रोडक्शन पर गलत होता। किसानों को भी इससे एक गलत संदेश जाता कि हम बाहर के लिए ज्यादा कीमत देते हैं और यहां के किसानों को कीमत नहीं देते। इसका असर हमारा प्रिक्यूरमेंट पर भी हो सकता था और इसलिए सोच-समझ कर यह डिसीजन ले लिया।

यह बात भी सच है कि इसके बाद दुनिया के सब मार्केट अगले कुछ दिनों में ऊपर गये। इसमें जो बातें सामने आई, उनमें एक तरफ आस्ट्रेलिया में सूखा हो गया और कई देशों में फसल कम हो गई और इसका असर दिन-ब-दिन कीमतों पर पड़ा। यहां एक समस्या खड़ी की गई कि हमने लाल गेहूं क्यों खरीदा। भारत में जो गेहूं पैदा होता है, ऐसा गेहूं भारत में पैदा होता है, आस्ट्रेलिया में पैदा होता है और पाकिस्तान में पैदा होता है। इस साल पाकिस्तान की फसल कम हो गई, Pakistan is also importing. आस्ट्रेलिया की फसल कम हो गई, Practically, they have stopped exporting. अब जो गेहूं पैदा होता है, वह अमेरिका में होता है और खास तौर पर ईस्टर्न यूरोप में, कनाडा में, यू.के., रशिया, कजाकिस्तान, अर्जेंटीना और अन्य सभी देशों में रैड गेहूं पैदा होता है। अमेरिका में दोनों किस्म का गेहूं पैदा होता है, मगर हमारे जो परचेज़ करने के बारे में नोर्म्स हैं, उन नोर्म्स को अमेरिकन सिस्टम या अमेरिकन एथॉरिटी पूरे नहीं करती थी। इस इश्यू पर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे। हमें कंप्रोमाइज करना चाहिए, इस तरह का सुझाव अमेरिका की तरफ से आया था, The State Secretary of Agriculture from the United States of America personally met me and he requested me but we could not accept because that is the basic compromise, which we cannot do. We are not in a position to compromise on the issue of quality of wheat. इसलिए अमेरिका से हम नहीं ले सके और इसके बाद यूक्रेन, रशिया, कजाखिस्तान देश बाकी बचे।

**सभापति महोदय :** अमेरिका से कुछ भी लेने में बड़ा झगड़ा है।

**श्री शरद पवार :** इसीलिए हमने नहीं लिया। जो कुछ इंपोर्ट किया गया, उसके सप्लायर्स सिर्फ ये देश थे। यहां के गेहूं और हमारे गेहूं के कलर में फर्क है। अगर प्रोटीन क्वालिटी की अगर जांच करें, तो हमारे गेहूं से उस गेहूं में ज्यादा प्रोटीन है। हमारी फूड हैबिट्स अलग हैं और इस फूड हैबिट से रेड व्हीट के बारे में लोगों में नाराजगी रहती है। मैंने खुद अपने घर में कहा कि सात दिन के लिए इंपोर्टेड व्हीट ट्राई करिए। मुझे खुद यह पता लगा और अंदाजा हो गया कि हमारी खाने की जो आदत है, उसमें वहां के टेस्ट और यहां के टेस्ट में अंतर है। लेकिन इसकी क्वालिटी खराब नहीं थी। इस बारे में कुछ राज्यों ने हमें लिखा है, इसमें महाराष्ट्र छोड़कर बाकी राज्यों ने हमें इतना ही लिखा है कि कंज्यूमर प्रेफरेंस रेड के मुकाबले व्हाइट का है। अगर आपके पास व्हाइट गेहूं हो, आप उसे भेजिए। इस तरह की रिक्वेस्ट कई राज्यों ने की थी। जो टोटल एलोकेशन हमने राज्यों को किया, उसमें बहुत कम शिकायतें आयीं। आप यह देखिए कि in total, we have allotted 51 lakh tonnes of wheat to various States. We have allotted 16 lakh tonnes to Gujarat, and not a single complaint has been received. We have allotted wheat to Rajasthan, and not a single complaint has come from the Government. But one Minister has written for preference, not about the quality.

**सभापति महोदय :** जिन राज्यों ने नहीं दिया, उन राज्यों ने कोई शिकायत नहीं की। यह कोई बात नहीं है।

**श्री शरद पवार :** वेस्ट-बंगाल में हमने दिया, लेकिन कोई शिकायत नहीं आयी। शिकायत सिर्फ महाराष्ट्र से आयी। महाराष्ट्र में मुंबई और थाने में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां कुछ सैंपल दुकान से लिए गए। वे सैंपल्स खराब थे, इस तरह की बात सामने आयी। यह बात सामने आने के बाद राज्य सरकार के माध्यम से हमारे सामने आ गयी। यह होने के बाद हमने तुंत वहां रेड व्हीट का डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया। हर स्टेट को हमने लिखित रूप में इन्फार्म किया कि यदि कहीं भी क्वालिटी के बारे में शिकायत हो, तो आप इसकी क्वालिटी लैबोरेट्री में टेस्ट करके, जो नेशनल गाइडलाइन है, उसके मुताबिक ही क्वालिटी हो, तभी इसका डिस्बर्समेंट करिए, नहीं तो डिस्बर्समेंट मत करिए, एलोकेशन मत करिए। इस तरह की विलयस्कट गाइडलाइन देश के सभी राज्यों को दी थी। जहां शिकायत आयी, वहां रेड व्हीट एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से बंद कर दिया। इसलिए आज वह स्थिति नहीं है।

मुझे यही कहना था कि यह जो संकट आया, किस स्थिति में आया। इंपोर्ट करने की जो नौबत आयी, वह किस तरह की परिस्थिति में आयी, यह बात मैंने सदन के सामने रखा। जो शिकायतें आयीं, ये लिमिटेड एरिया में आयीं, इस बात को भी मैंने सदन के सामने कहा। ऐसी स्थिति में सीबीआई की जांच या और किसी के द्वारा जांच की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। ...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** इस पर बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है।

â€¦(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** आगे भी कई महत्वपूर्ण विषय हैं।

â€¦(व्यवधान)

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :** पहले 263 में नहीं दिया, फिर जो टेंडर गया, वह 325 का आया, दूसरी बार और ज्यादा कर दिया। तब कहा था कि गेहूं सस्ता होगा, जबकि बाद में यह महंगा हो गया। ...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** इस पर करीब पचास मिनट की चर्चा हो चुकी है।

â€¦(व्यवधान)

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :** अगर सीबीआई की इंक्वायरी नहीं करते, तो हम लोग प्रोटेस्ट में वाक आउट करते हैं। ...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** यह आपका अधिकार है।

## 12.54 hrs.

–

(Prof. Vijay Kumar Malhotra and some other hon. Members then left the House)

**सभापति महोदय :** अब कुछ महत्वपूर्ण विषयों को हम चर्चा में लेंगे। यद्यपि यह खुद ही बहुत महत्वपूर्ण विषय था, इसमें पचास मिनट लगे। मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत और संगत उत्तर दिया।

---

MR. CHAIRMAN : Now, we take up 'Zero Hour'.

Shri Sippiparai Ravichandran.